

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 11, मंगलवार, श०के 1947- दिसम्बर 02, 2025 Agrahayana 11, Tuesday, Saka 1947- December 02, 2025	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

कार्यालय आदेश

जयपुर, नवम्बर 25, 2025

संख्या एफ-7(31)रालसा/संस्था/अध्यक्ष पी.एल.ए.नियुक्ति/ 2024-25/697:- माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिशंषा पर, राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या 8(7)विधि-2/विरसं(39)/2002 पार्ट II-59916 दिनांक 24.11.2025 द्वारा अनुमोदन उपरान्त, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 बी एवं तत्संबंधित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निम्न जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालयों पर संस्थापित स्थाई लोक अदालत में सेवानिवृत्त या निवर्तमान न्यायिक अधिकारीगण की पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) एवं स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं इस प्राधिकरण के द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के अधीन वर्तमान में कार्यरत जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त प्रभार को समाप्त करते हुए पूर्णकालिक अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत के पद पर एतद्वारा नियुक्ति निम्न प्रकार की जाती है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (वरीयता के अनुसार) (सर्व श्री/श्रीमती)	स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पद हेतु पदस्थापन स्थान	स्थाई लोक अदालत का क्षेत्राधिकार
1.	अर्चना अग्रवाल	कोटा	संपूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
2.	सुशील कुमार शर्मा	मेडता सिटी	संपूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
3.	राजेन्द्र कुमार सैनी (सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2025)	बीकानेर	संपूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
4.	पवन कुमार शर्मा	हनुमानगढ़	संपूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
5.	हुकम सिंह राजपुरोहित	सिरोही	संपूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
6.	महेन्द्र सिंह सिसोदिया	उदयपुर	संपूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
7.	गणेश कुमार	श्रीगंगानगर	संपूर्ण जिला न्यायक्षेत्र

01. क्रम सं. 1 से 7 पर अंकित अधिकारीगण को आदेश का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

02. उक्त नियुक्तियां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्संबंधित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 एवं प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।
03. उक्त स्थानों पर उपलब्ध ए.डी.आर. भवन/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में स्थाई लोक अदालत का संचालन होगा।
04. क्रम सं. 3 पर अंकित अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार सैनी की पदस्थापन तिथि दिनांक 01.12.2025 से प्रभावी होगी।
05. क्रम संख्या 01 से 07 पर अंकित अधिकारी की नियुक्ति प्रारम्भिक तौर पर कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
हरि ओम अत्री,
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।